

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।  
पत्रांक- 18813 /22-2, मुरादाबाद, दिनांक, नवम्बर- 23 2015  
सेवा में.

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-93 अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड के किमी0 142-220 से किमी0 205-000 तक दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु 32-7792 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3777 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी सम्मल वन प्रभाग सम्मल की पत्र संख्या- 941/14-1,  
दिनांक 09-11-2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-93 अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड के किमी0 142-220 से किमी0 205-000 तक दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु 32-7792 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3777 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसको वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी सम्मल वन प्रभाग सम्मल द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक- प्रस्ताव 3 प्रतियों में।

भवदीय,



(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- /22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी सम्मल वन प्रभाग को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 1570 /22-2, मुरादाबाद, दिनांक, अक्टूबर- 19 2015  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-93 अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड के कि०मी० 205.000 से 232.000 तक दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु क्षेत्रफल 14.4852 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 93 वृक्ष तथा 361 पौधे (कुल 454) बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग मुरादाबाद की पत्र संख्या-1228/14-1, दिनांक 15-10-2013

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-93 अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड के कि०मी० 205.000 से 232.000 तक दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु क्षेत्रफल 14.4852 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 93 वृक्ष तथा 361 पौधे (कुल 454) बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसको वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा० वा० प्रभाग मुरादाबाद द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्नक- प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

भवदीय,




(वी० के० चोपड़ा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 1570 /22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद को आपको उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(वी० के० चोपड़ा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

ok